प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 22.06.2025

- **थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज हत्या की घटना में वांछित 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में थाना रसूलाबाद पर दहेज हत्या की घटना में पंजीकृत मु0अ0सं0-423/2024 धारा 75(2)/80(2)/85/115(2) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. विमल पुत्र प्रेम बाबू व अभियुक्ता 2. रामदेवी उर्फ शिवदेवी पत्नी प्रेमबाबू निवासीगण उसरी मजरा मित्रसेनपुर कहिंजरी, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण –

1. विमल पुत्र प्रेम बाबू निवासी उसरी, मजरा मित्रसेनपुर कहिंजरी, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

2. रामदेवी उर्फ शिवदेवी पत्नी प्रेमबाबू निवासिनी उसरी, मजरा मित्रसेनपुर कहिंजरी, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

घटना का विवरण-

दिनांक 04.10.2024 को थाना रसूलाबाद पर विमल व अन्य परिवारीजनों द्वारा वादी की बहन की दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0-423/2024 धारा 75(2)/80(2)/85/115(2) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त विमल पुत्र प्रेम बाबू व अभियुक्ता रामदेवी उर्फ शिवदेवी पत्नी प्रेमबाबू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्ता का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-423/2024 धारा 75(2)/80(2)/85/115(2) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट थाना रसूलाबाद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस टीम